

मध्यप्रदेश शासन  
गृह(पुलिस)विभाग  
मंत्रालय वल्लभगवन

// आदेश //

शोपाल दिनांक 26 मार्च 2011

क्रमांक एफ 3-14/2009/बी-3/दो, राज्य शासन एतद द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जून 2010 के द्वारा बैंकों एवं अन्य व्यवसायिक संस्थानों तथा निजी व्यक्तियों को प्रदाय किये जा रहे स्थाई एवं अस्थायी पुलिस गार्ड आरक्षक से प्रधान आरक्षक तक की दरे वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित की गई थी। एतद द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए आरक्षक से निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए निम्नानुसार राशोधित दरे निर्धारित की जाती है:

सं०क्र०	पदनाम	स्थायी तौर पर प्रदाय गार्ड के लिये प्रति व्यक्ति वार्षिक दर	अस्थायी तौर पर गार्ड के लिये प्रति व्यक्ति दैनिक दर
1	2	3	4
1	निरीक्षक	7.50 लाख	3100 रुपये
2	उप निरीक्षक	6.25 लाख	2600 रुपये
3	सहायक उप निरीक्षक	4.50 लाख	2500 रुपये
4	प्रधान आरक्षक	4.25 लाख	1700 रुपये
5	आरक्षक	4.00 लाख	1600 रुपये

2 ये दरे वेतन भत्ते आदि के साथ पेशन/अवकाश वेतन/आर्ग्स/एग्जुनेशन, बिजली, पानी आदि के समस्त खर्चों को शामिल कर निर्धारित की गई है।

3- बिना पद की स्वीकृति प्रदाय किये जा रहे गार्ड को अस्थायी रूप में माना जायेगा।

4 उपरोक्त दर वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित की गई है।


5- प्रदाय गार्ड के लिए शुगतान छमाही तौर पर अग्रिम के रूप में प्राप्त किया जायेगा, परन्तु इसके साथ एक वर्ष की राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगी।

6 वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं इसके बाद के लिए वित्त विभाग की सहमति से प्रतिवर्ष के लिए दर गृह विभाग द्वारा 31 दिसम्बर तक निर्धारित की जायेगी।

7-- उक्त व्यवस्था ऐसी अन्य सभी संस्थाओं के लिए भी लागू होगी जहां बिना कीमत के अथवा अन्य तरीके से निर्धारित दरों पर पुलिस बल उपलब्ध कराने की कोई संवैधानिक/अनुबंध अंतर्गत बाध्यता नहीं है।

8- यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओओ कं० 432/326/ब-8/चार/11, दिनांक 25.03.2011 द्वारा प्राप्त सहमति के परिप्रेक्ष्य में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(अनिल कुमार)

अपर सचिव

म०प्र० शासन गृह(पुलिस)विभाग

पृष्ठांकन कं. एफ 3 14/2009/बी-3/दो,

भोपाल दिनांक 26 मार्च, 2011

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:

1. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. आयुक्त कोष एवं लेखा पर्यावास भवन भोपाल।
5. गार्ड फाईल संघारण।

  
अपर सचिव

म०प्र० शासन गृह(पुलिस)विभाग